न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

1– राजस्व अपील संख्या 27 / 2022

श्री शकील पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

2– राजस्व अपील संख्या 28 / 2022

श्री रफीक पुत्र श्री पेमा, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

3– राजस्व अपील संख्या 29 / 2022

श्री मंगला पुत्र श्री जफरू, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

4– राजस्व अपील संख्या 30 / 2022

श्री सलीम पुत्र श्री लाला, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार ब्यावर

.....*रेस्पोन्डेन्ट*

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956

———

उपस्थित :–1. श्री कृष्ण गोपाल खत्री, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर, सरकारी वकील।

–: आदेश :–

दिनांक–27.09.2022

उपरोक्त चारों ही अपीलों में समान तथ्य एवं समान कानूनी बिन्दू नीहित होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जाना न्यायोचित होगा। आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2072 में श्री शकील पुत्र श्री भंवरू, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर ने ग्राम रूपनगर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1690/271 कुल रकबा 10.1981 हैक्टर किस्म दांती (चरागाह) में से 0.2425 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर, श्री रफीक पुत्र श्री पेमा, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर ने ग्राम रूपनगर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1690/271 कुल रकबा 10.1981 हैक्टर किस्म दांती (चरागाह) में से 0.2425 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर, श्री मंगला पुत्र श्री जफरू, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर ने ग्राम रूपनगर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1690/271 कुल रकबा 10.1981 हैक्टर किस्म दांती (चरागाह) में से 0.2425 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर एवं श्री सलीम पुत्र श्री लाला, जाति मेरात, निवासी रूपनगर तहसील ब्यावर ने ग्राम रूपनगर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 1690/271 कुल रकबा 10.1981 हैक्टर किस्म दांती (चरागाह) में से 0.2425 हैक्टर भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार ब्यावर के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या क्रमशः 31/2022, 32/2022, 33/2022 एवं 34/2022 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 24.03.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के साथ ही अवैध निर्माण को ध्वस्त कर सामग्री को जब्त सरकार कर नीलामी के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 24.03.2022 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 08.03.2022 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी 24.03.2022 नियत की गई। नियत दिनांक को अपीलान्ट द्वारा नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी नियत किये बिना एवं अपीलार्थी की बहस व पक्ष सुने बिना मनमाने तरीके से उसी दिन अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही विवादित आराजी से बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये गये। उन्होने आगे कथन किया कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर गत 40 वर्षों से अधिक समय से अर्थात अपने पूर्वजों के समय से काबिज चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर आनन–फानन में एक प्रशासनिक आदेश के रूप में पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व इस ओर ध्यान नहीं दिया गया कि उनकी प्रशासनिक शक्तियां उन्हे प्रदत्त न्यायिक शक्तियों से बिलकुल भिन्न है, जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिये बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये एवं बिना अपीलान्ट का पक्ष सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। उन्होने आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब को रेकॉर्ड पर तो ले लिया गया परन्तु जवाब पर न तो मनन किया एवं न ही इस ओर ध्यान दिया जबकि जवाब के प्रकाश में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर सुना जाना अनिवार्य था चूंकि यह न्याय प्रक्रिया की एक अहम आवश्यकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पक्ष को सिरे से नजरअंदाज किया जाकर बिना कोई टिप्पणी व अपना न्यायिक मत व्यक्त किये आनन–फानन में आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। इस प्रकार न्यायिक प्रक्रिया को नहीं अपनाकर विधिक त्रुटि कारित की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया कि राज्य सरकार द्वारा चरागाह भूमि को उपयोग–उपभोग हेतु बनाये जाने की मंशा से जो काश्तकार लम्बे समय से चरागाह/सिवायक भूमियों का उपयोग/उपभोग कर रहे हैं उन्हे पट्टे/खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने हेतु समय–समय पर निर्देश/नोटिफिकेशन जारी किये गये हैं। पटवारी हल्का, नून्द्रीमेद्रातान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के समस्त नोटिफिकेशन की अवहेलना कर बिना मौका जांच किये प्रदत्त शक्तियों को दुरूपयोग करते हुए प्रलोभन के तहत वास्तविकता को छिपाते हुए प्रकरण प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व पटवारी हल्का, अपीलान्ट व किसी भी गांव वालों के बयान दर्ज नहीं लिये जाकर न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया है।

वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश Non-Speaking order है जबकि न्याय का यह सिद्धांत है कि न्यायालय जो भी आदेश पारित करता है, उसमें न्यायमत एवं न्यायिक दृष्टिकोण का न केवल हवाला होना चाहिये बल्कि न्यायालय द्वारा ऐसे निर्णय पर पहुंचने के लिये उचित तर्क दिया जाना भी अनिवार्य है। इस प्रकार की खामी के कारण आक्षेपित आदेश न्यायिक निर्णय की श्रेणी में नहीं आता है। अपीलाधीन आदेश से अपीलान्ट को विवादित आराजी में अतिक्रमी मानते हुए सामग्री जब्त करने के आदेश पारित किये गये हैं, वे समस्त आदेश प्रथम दृष्टया ही Laissez Faire State आदेशों की श्रेणी में आते हैं, Welfare

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

State की श्रेणी में नहीं आते। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा दांती (चरागाह) की सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच पश्चात् विवादित भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही दांती (चरागाह) की भूमि है जो नियमन योग्य भी नहीं है। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 27.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अपर कलक्टर अजमेर